

**कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

सं०-4डी(2)/फार्म0-2001/2016/

लखनऊ: दिनांक: ११ मार्च, 2016

**-: कार्यालय ज्ञाप :-**

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20558/2009-उ०प्र० राज्य सरकार एवं अन्य बनाम रांतोष कुमार मिश्रा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 एवं अवमाननावाद सं०-347/2010-हरित कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.12, 15.04.2013, 29.04.2013 तथा अवमाननावाद सं०-115/2014 में पारित आदेश दि० 23.09.2014 के अनुपालन में फार्मसिस्ट के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन दिनांक 12.11.2007 के सापेक्ष वर्ष 2001 के फार्मसी डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों की मेरिटवार सूची क्रमांक-1 से 100 एवं दिनांक 16.01.2016 को अनुपस्थित 36 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

उक्त सूची के अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग दिनांक 21 मार्च, 2016 को निम्नांकित विवरण के अनुसार वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ स्थित सभागार में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक की जायेगी :-

क्रमांक सं०	काउन्सिलिंग का दिनांक
क्रमांक - 01 से 100 तक एवं दिनांक 16.01.2016 को आयोजित काउन्सिलिंग में अनुपस्थित 36 अभ्यर्थी	दिनांक 21.03.2016

संलग्न सूची में इंगित अभ्यर्थी अपने शैक्षिक अभिलेखों, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि चयन से संबंधित समस्त अभिलेखों की दो स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ एवं दो स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, उ०प्र० फार्मसी काउन्सिल का अधुनान्त रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण प्रमाण-पत्र (ग्रीन बुक) के साथ सगस्त मूल अभिलेखों सहित निर्धारित स्थल एवं समय पर काउन्सिलिंग में उपस्थित हों। काउन्सिलिंग में जो अभ्यर्थी चयन सूची में अंकित औपचारिकताएं/अर्हताएं पूर्ण कर रहे होंगे, उनका चयन मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार किया जायेगा। काउन्सिलिंग में उपस्थित न होनेवाले तथा अर्हताएं पूर्ण न करनेवाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

**संलग्नक : यथोपरि**

**निदेशक(पैरामेडिकल)**

सं०- 4डी(2)/फार्म0-2001/2016/1232-35 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 ।
2. निदेशक (टेक्नीकल), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस पत्र एवं संलग्न सूची (सी०डी० सहित) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, वीरांगना, अवंतीबाई चिकित्सालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 21.03.2016 को सभागार में बिजली एवं पानी की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. नाजिर, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त पत्र तथा पत्र के साथ संलग्न सूची को स्वास्थ्य भवन के सूचना पट्ट पर चस्पा कराने की व्यवस्था करें।

**अनिदेशक(पैरामेडिकल)**